रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042022-235070 CG-DL-E-12042022-235070

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1715] No. 1715] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 2022/चैत्र 22, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 2022/CHAITRA 22, 1944

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली. 12 अप्रैल. 2022

का.आ. 1802(अ.).—केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उप-धारा (2) के खंड (कक) और (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इन नियमों का नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 में (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 में, -
- (i) खंड (ङ) में, "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दस वर्ष" शब्द रखें।
- (ii) खंड (ट) में, स्पष्टीकरण में, खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखें, अर्थात्: -
- "(i) कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य लागू कानून के उपबंधों के अनुसार, किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए साम्या शेयरों में वह साम्या शेयर सम्मलित हैं, जिनका भागतः संदाय किया गया है। "संपरिवर्तनीय डिबेंचर" से पूर्णतया और आज्ञापकतः संपरिवर्तनीय डिबेंचर अभिप्रेत हैं, जिनका पूर्णतया संदाय किया गया है। "अधिमानी शेयर" से पूर्णतया और आज्ञापकतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयर है जिनका पूर्णतया संदाय किया गया है। "शेयर वारंट" वे वारंट हैं

2654 GI/2022 (1)

जिन्हें किसी भारतीय कंपनी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी विनिमयों, कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य लागू कानून के अनुसार जारी किया गया है। किसी साम्या लिखत में एक वर्ष की न्यूनतम लॉक-इन अविध या किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए यथाविहित अविध, जो भी उच्चतर हो, के अध्यधीन कोई वैकल्पिकता खंड अंतर्विष्ट हो सकता है, किंतु बीमांकित कीमत पर बाह्यगमन का कोई विकल्प या अधिकार नहीं होगा;

- (iii) खंड (द) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्: -
- "स्पष्टीकरण: यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य लागू कानून, जैसा भी मामला हो, के उपबंधों के अनुसार भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा धृत फायदाप्रद हित के विषय में कोई घोषणा की जाती है तो किसी भारतीय निवासी नागरिक द्वारा किये गए विनिधान के होते हुए भी उसकी गणना विदेशी विनिधान के रूप में की जाएगी:
- (iv) खंड (भ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखें, अर्थात्: -
- "(भ)' " भारतीय कंपनी' से कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित कोई कंपनी या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है; जो भारत में निगमित किया गया है।

टिप्पण:

- (i) यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों में 'कंपनी' या 'निवेशकर्ता कंपनी' या 'अंतरिती कंपनी' या 'अंतरणकर्ता कंपनी' के संदर्भ में किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित निकाय का कोई संदर्भ भी शामिल है।
- (ii) यह और स्पष्ट किया जाता है कि यदि 'कंपनी' या 'भारतीय कंपनी' या 'निवेशकर्ता कंपनी' या 'अंतरिती कंपनी' या 'अंतरणकर्ता कंपनी' शब्द कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी के संदर्भ में सापेक्ष है, ऐसे शब्द का अर्थ उक्त अधिनियम के अधीन निगमित एक कंपनी, लेकिन कॉर्पोरेट निकाय नहीं होगा।
- (iii) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 'भारतीय कंपनी' में कोई सोसाइटी, न्यास या कोई संस्था शामिल नहीं है, जिसे एफडीआई नीति के तहत एक पात्र निवेशकर्ता इकाई के रूप में बाहर रखा गया है।"
- (v) खंड (य ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतर्विष्ट किए जाएंगे, अर्थात्:
- "(य ठ क)" "'शेयर आधारित कर्मचारी लाभों" का अर्थ कर्मचारियों या निदेशकों अथवा धारित कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम या पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी या कंपनियों के कर्मचारी या निदेशक जो भारत के बाहर रह रहे हैं, के लिए साम्या लिखतों का निर्गम है, जो एक भारतीय कंपनी द्वारा तैयार की गई शेयर आधारित कर्मचारी लाभ योजनाओं के अनुसरण में है'।
- (vi) खंड (य ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतर्विष्ट किए जाएंगे, अर्थात्: -
- "(य ड क)-" "सहायक कंपनी" का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर यथा-संशोधित, कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट है।"'
- 3. उक्त नियमों में, नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातु: -
- "8. कर्मचारी स्टॉक विकल्पों, स्वीट साम्या शेयरों और शेयर आधारित कर्मचारी लाभों का भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों को निर्गम- कोई भारतीय कंपनी अपने ऐसे कर्मचारियों या निदेशकों या धृति कंपनी या संयुक्त उद्यम या पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी अनुसंगी या अनुसंगियों के ऐसे कर्मचारी या निदेशकों को जो भारत से बाहर निवासी हैं, "कर्मचारी स्टॉक विकल्प", "स्वीट साम्या शेयरों" और "शेयर आधारित कर्मचारी लाभ" का निर्गम कर सकेगी:

परंतु यह कि -

- (क) यह योजना या तो यथास्थिति, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के अधीन जारी विनियमों के शर्तों के अनुसार तैयार की जाती है;
- (ख) नियमों या विनियमों के अधीन इस प्रकार जारी "कर्मचारी स्टॉक विकल्प" या "स्वीट साम्या शेयर" या **"शेयर आधारित** कर्मचारी लाभ" उक्त कंपनी को लागू सेक्टोरल सीमा के अनुपालन में हैं;
- (ग) ऐसा कंपनी जो अननुमोदन मार्ग के अधीन है, विदेशी विनिधान "कर्मचारी स्टाक विकल्प" या "स्वीट साम्या शेयर" या **"शेयर आधारित कर्मचारी लाभ"** निर्गम किया जाना है, सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपेक्षा किया जाएगा;

(घ) बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक से "कर्मचारी स्टाक विकल्प" या "स्वीट साम्या शेयर" का निर्गम सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाना अपेक्षित होगा:

परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर का निवासी है और जो विकल्प का प्रयोग कर रहा है जो उसे तब प्रदत्त किया गया था जब वह भारत में निवासी व्यक्ति या गैर संप्रत्यावर्तत आधार पर विकल्प का प्रयोग करते हुए इस प्रकार अर्जित साम्या लिखतों को धारण करेगा |

- 4. उक्त नियमों में, नियम 19 में,
 - (i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(1) जहां दो या अधिक भारतीय कंपनियों की समझौता या व्यवस्था या विलयन या समामेलन की स्कीम या भारतीय कंपनी के अविलयन के माध्यम से या अन्यथा पुन:संनिर्माण, राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण (एनसीएलटी) या कानून द्वारा ऐसा करने के लिए सक्षम अन्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है, वहां, यथास्थिति, अंतरिती कंपनी या नई कंपनी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, भारत के बाहर निवासी अंतरक कंपनी के विद्यमान धारकों को साम्या लिखतें जारी कर सकेगी, अर्थात्:-
- (क) अंतरण या निर्गम, यथास्थिति, प्रवेश मार्ग, सेक्टोरल सीमाओं या विनिधान सीमाओं के और भारत से बाहर किसी निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान की आनुषंगिक शर्तों के अनुपालन में है:

परंतु जहां प्रतिशतता से सेक्टर सीमाओं या आनुषंगिक शर्तों के भंग होने की संभावना है, वहां अंतरक कंपनी या अंतरिती अथवा नई कंपनी केंद्रीय सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर सकेंगी;

(ख) अंतरक कंपनी या अंतरिती कंपनी या नई कंपनी, भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान के लिए प्रतिषिद्ध किसी सेक्टर में कार्य नहीं करेगी।

टिप्पण: सरकारी अनुमोदन स्वचालित माध्यम के अधीन सेक्टरों में विलय और अधिग्रहणों के मामले में सरकारी अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।

- (ii) उप-नियम (2) में, "जहां दो या अधिक भारतीय कंपनियों के" शब्दों के पश्चात, "समझौता या व्यवस्था या" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।
- 5. उक्त नियमों में, अनुसूची । में,
- (i) पैरा 2 में, उप-पैरा (च) में, स्पष्टीकरण के लिए, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्: -

"स्पष्टीकरण: इस नियम के उद्देश्य के लिए, 'रियल एस्टेट कारबार' का अर्थ है भूमि और अचल संपत्ति से लाभ अर्जित करने की दृष्टि से व्यापार करना और इसमें टाउनिशप का विकास, रेसिडेन्शियल (िनवासी) या कमर्शियल (व्यावसायिक) परिसर, रोड या पुल का निर्माण, शिक्षा संस्थान, मनोरंजन सुविधाएं, शहर और क्षेत्रीय स्तर की अवसंरचना, टाउनिशप, रियल एस्टेट ब्रोकिंग सेवाएं और सेबी (आरईआईटी) विनियम, 2014 के अधीन रिजस्ट्रीकृत और विनियमित रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और संपत्ति के पट्टे पर किराए अथवा आय अर्जन रियल एस्टेट कारबार में सम्मिलित नहीं होंगे।;

- (ii) सारणी में,-
- (क) बीमा शीर्षक के अधीन,
- (क) क्रम संख्या एफ.8.1 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"एफ.8.1 क	भारतीय जीवन बीमा निगम	20%	स्वचालित";

(ख) क्र.सं. "एफ.8.3" और स्तम्भ 2 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर, क्रमश: निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)
"एफ.8.3.1	भारतीय बीमा कंपनियों और मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती पर लागू अन्य शर्तें";

- (ग) खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(ट) "इक्किटी शेयर पूंजी", "प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान" (एफडीआई), "विदेशी निवेशक", "विदेशी पोर्टफोलियो विनिधान ", "भारतीय बीमा कंपनी", "भारतीय कंपनी", "अनिवासी अस्तित्व", "लोक वित्तीय संस्था", "निवासी भारतीय नागरिक" और "कुल विदेशी विनिधान " शब्दों का वही अर्थ होगा जो भारतीय बीमा कंपनियों और मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती में विदेशी निवेश के संबंध में बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत नियमों में निर्दिष्ट किया गया हैं, अथवा समय-समय पर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों में यथा उपबंधित हैं";
- (घ) क्र.सं. एफ.8.3.1 के पश्चात्, निम्नलिखित क्र सं और उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"एफ.8.3.2"	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पर लागू अन्य शर्तें
	(क) एलआईसी में विदेशी निवेश जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (एलआईसी अधिनियम), समय-समय पर यथा-संशोधित (एलआईसी अधिनियम) प्रावधानों और बीमा अधिनियम, 1938 के समय-समय पर यथा-संशोधित प्रावधानों, जैसा कि एलआईसी पर लागू हैं, के अध्यधीन होगा
	(ख) क्रम सं एफ.8.3.1 के अधीन खण्ड (ङ) और (च) के प्रावधान, एलआईसी पर भी लागू होंगे जैसे कि भारतीय बीमा कंपनी का संदर्भ एलआईसी के संदर्भ में है।
	(ग) क्रम सं एफ.8.3.1 के अधीन खंड (ट) में संदर्भित बातों का वही अर्थ होगा जो उसमें निर्दिष्ट हैं।
	स्पष्टीकरण: इस क्रम सं. के प्रयोजनार्थ, भारतीय बीमा कंपनी या क्रमांक एफ.8.3.1 के अधीन खंड (ट) में संदर्भित कंपनी के लिए कोई संदर्भ एलआईसी के लिए संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

[फा. सं. 01/05/ईएम/2019]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ 3732 (अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2019 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांक द्वारा संशोधित किए गए थे:-

- (i) का.आ. 4355 (अ), तारीख 5 दिसंबर 2019,
- (ii) का.आ. 1278 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 2020,
- (iii) का.आ.. 1374 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2020,
- (iv) का.आ. 2442 (अ), तारीख 27 जुलाई, 2020,
- (v) का.आ. 4441 (अ), तारीख 8 दिसंबर, 2020,
- (vi) का.आ. 3206 (अ), तारीख 9 अगस्त, 2021,
- (vii) का.आ. 3411 (अ), तारीख 19 अगस्त, 2021
- (viii) का.आ. 4091 (अ), तारीख 5 अक्टूबर, 2021 और
- (ix) का.आ. 4242 (अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2021

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 12th April, 2022

- **S.O. 1802(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (ab) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, namely:
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,-
- (i) in clause (e), for the words "five years", the words "ten years" shall be substituted;
- (ii) in clause (k), in the Explanation, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-
- "(i) Equity shares issued by an Indian Company in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 or any other applicable law, shall include equity shares that have been partly paid. "Convertible debentures" means fully and mandatorily convertible debentures which are fully paid. "Preference shares" means fully and mandatorily convertible preference shares which are fully paid. "Share Warrants" are those issued by an Indian Company in accordance with the regulations made by the Securities and Exchange Board of India, the Companies Act, 2013 or any other applicable law. Equity instruments can contain an optionality clause subject to a minimum lock-in period of one year or as prescribed for the specific sector, whichever is higher, but without any option or right to exit at an assured price.";
- (iii) in clause (s), for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:-
- "Explanation: If a declaration is made by a person as per the provisions of the Companies Act, 2013 or any other applicable law, as the case may be, about a beneficial interest being held by a person resident outside India, then even though the investment may be made by a resident Indian citizen, the same shall be counted as foreign investment;";
- (iv) for clause (y), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(y) "Indian company" means a company as defined in the Companies Act, 2013 or a body corporate established or constituted by or under any Central or State Act, which is incorporated in India;

Note:

- (i) It is clarified that reference to 'company' or 'investee company' or 'transferee company' or 'transferor company' in these rules also includes a reference to a body corporate established or constituted by or under any Central or State Act.
- (ii) It is further clarified that if the term 'Company' or 'Indian company' or 'Investee company' or 'transferee company' or 'transferor company' is qualified by a reference to a company incorporated under the Companies Act, 2013 such term shall mean a company incorporated under the said Act but not a body corporate.
- (iii) It is also clarified that 'Indian company' does not include a society, trust or any entity, which is excluded as an eligible investee entity under the FDI Policy.";
- (v) after clause (am), the following clause shall be inserted, namely:-
- "(ama) "Share Based Employee Benefits" means issue of equity instruments to employees or directors or employees or directors of the holding company or joint venture or wholly owned overseas subsidiary or subsidiaries who are resident outside India, pursuant to Share Based Employee Benefits schemes formulated by an Indian Company";
- (vi) after clause (an), the following clause shall be inserted, namely :-
- "(ana) "subsidiary" shall have the same meaning as is assigned to it in the Companies Act, 2013, as amended from time to time";

- 3. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:-
- "8. Issue of Employees Stock Options, sweat equity shares and Share Based Employee Benefits to persons resident outside India.- An Indian company may issue "employees' stock option", "sweat equity shares", and "Share Based Employee Benefits" to its employees or directors or employees or directors of its holding company or joint venture or wholly owned overseas subsidiary or subsidiaries who are resident outside India:

Provided that. -

- (a) the scheme has been drawn either in terms of regulations issued under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 or as per other applicable law, as the case may be;
 - (b) the "employee's stock option" or "sweat equity shares" or "Share Based Employee Benefits" so issued under the applicable rules or regulations are in compliance with the sectoral cap applicable to the said company;
 - (c) the issue of "employee's stock option" or "sweat equity shares" or "Share Based Employee Benefits" in a company where foreign investment is under the approval route shall require prior government approval;
 - (d) issue of "employee's stock option" or "sweat equity shares" or "Share Based Employee Benefits" to a citizen of Bangladesh or Pakistan shall require prior government approval:

Provided further that an individual who is a person resident outside India exercising an option which was issued when he or she was a person resident in India shall hold the shares so acquired on exercising the option on a non-repatriation basis.".

- 4. In the said rules, in rule 19,
 - (i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - " (1) Where a scheme of compromise or arrangement or merger or amalgamation of two or more Indian companies or a reconstruction by way of demerger or otherwise of an Indian company, or transfer of undertaking of one or more Indian company to another Indian company, or involving division of one or more Indian company, has been approved by the National Company Law Tribunal (NCLT) or other authority competent to do so by law, the transferee company or the new company, as the case may be, may issue equity instruments to the existing shareholders of the transferor company resident outside India, subject to the following conditions, namely:-
 - (a) the transfer or issue is in compliance with the entry routes, sectoral caps or investment limits, as the case may be and the attendant conditionalities of investment by a person resident outside India:

Provided that where the percentage is likely to breach the sectoral caps or the attendant conditionalities, the transferor company or the transferee or new company may obtain necessary approval from the Central Government;

(b) the transferor company or the transferee company or the new company is not engaged in any sector prohibited for investment by a person resident outside India.

Note: Government approval shall not be required in case of mergers and acquisitions taking place in sectors under automatic route.";

- (ii) in sub-rule (2), after the words "where a scheme of", the words "compromise or arrangement or" shall be inserted.
- 5. In the said rules, in Schedule I,
- (i) in paragraph 2, in sub-paragraph (f), for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:-

"Explanation: For the purpose of this rule, 'real estate business' means dealing in land and immovable property with a view to earning profit from there and does not include development of townships, construction of residential or commercial premises, roads or bridges, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure, townships, real estate broking services and Real Estate Investment Trusts (REITs) registered and

regulated under the SEBI (REITs) Regulations 2014 and earning of rent or income on lease of the property, not amounting to transfer.;

- (ii) in the Table,-
- (a) under the heading Insurance,
 - (A) after Sl. No. F.8.1, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"F.8.1A	Life Insurance Corporation of India	20%	Automatic";

(B) for Sl. No. "F.8.3" and the entry under column 2, the following Sl. No. and entry shall respectively be substituted, namely:-

(2)	
Other conditions applicable to Indian insurance companies and intermediaries or insurance	
intermediaries";	

- (C) For clause (k), the following clause shall be substituted, namely:-
- "(k) Terms "Equity Share Capital", "Foreign Direct Investment" (FDI), "Foreign Investors", "Foreign Portfolio Investment", "Indian Insurance Company", "Indian Company", "Non-resident Entity", "Public Financial Institution", "Resident Indian Citizen" and "Total Foreign Investment" shall have the same meaning as specified in the rules under the Insurance Act, 1938 or in the regulations issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India from time to time, in respect of foreign investment in Indian Insurance Companies and intermediaries or insurance intermediaries.";

(D) after Sl No. F.8.3.1, the following Sl.No. and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

(1)	(2)
"F.8.3.2	Other conditions applicable to the Life Insurance Corporation of India (LIC)
	(a) Foreign investment in LIC shall be subject to the provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956, (LIC Act) as amended from time to time (LIC Act) and such provisions of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time, as are applicable to LIC
	(b) Provisions of clauses (e) and (f) under Sl. No. F.8.3.1, shall also apply to LIC, as if reference therein to an Indian Insurance Company is a reference to LIC.
	(c) The terms referred to in clause (k) under Sl. No. F.8.3.1 shall have the same meaning as referred to therein.
	Explanation: For the purposes of this Sl. No., any reference to Indian insurance company or company referred to in clause (k) under Sl. No. F.8.3.1, shall be construed as a reference to LIC.".

[F. No. 01/05/EM/2019]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.3732 (E), dated the 17th October, 2019 and subsequently amended *vide* notification numbers: -

(i) S.O. 4355 (E), dated the 5th December 2019,

- (ii) S.O. 1278 (E), dated the 22nd April, 2020,
- (iii) S.O. 1374 (E), dated the 27th April, 2020,
- (iv) S.O. 2442 (E), dated the 27th July, 2020,
- (v) S.O. 4441 (E), dated the 8th December, 2020,
- (vi) S.O. 3206 (E), dated the 9th August, 2021,
- (vii) S.O. 3411 (E), dated the 19th August, 2021
- (viii) S.O. 4091 (E), dated the 5th October 2021 and
- (ix) S.O. 4242 (E), dated the 12th October 2021